

दिनांक 09.12.2022

पत्रावली प्रस्तुत हुई। वाद पुकारा गया। परिवादी मय विद्वान अधिवक्ता श्री मदन मोहन मिश्रा उपस्थित आए। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियुक्ता की उपस्थिति हेतु पैरवी ली गयी।

पत्रावली वास्ते अभियुक्ता की उपस्थिति हेतु दिनांक 04.01.2023 को प्रस्तुत हो।

सिविल जज/
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
गोपेश्वर।